प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ दिनांक 23 जून, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर, निवासी जिला-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31014/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-08.12.2020) दिनांक-17.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर, ग्राम-नगला साहू, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का निवासी है। बंदी ने दिनांक 19.04.2004 को वादी और उसका भाई शाहदत कामिल की बहन नन्ही व मतलूब तारीख पर कचेहरी मेरठ जाने के लिए बस के इंतजार में मदरसे के पास खड़े थे। बंदी ने अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से फायर कर दिया। शाहदत मदरसे के अंदर की ओर भागा तो अभियुक्तगण ने मदरसे के अंदर घुसकर शाहदत को गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-545/2004 भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-11, मेरठ के आदेश दिनांक 04.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 16 वर्ष 04 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 15.09.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा रंजीशन हत्या की गयी थी समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, समयपूर्व रिहाई की दशा में कोई भी अप्रिय घटना घटित करने से समाज में रोष व्याप्त होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 19.04.2004 को परिजनों के साथ तारीख पर कचहरी मेरठ जाने के लिए बस के इंतजार में मदरसे के पास खड़े शाहदत नामक व्यक्ति की 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मदरसे के अंदर घुसकर गोलियों से छलनी कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद दोनों पक्षों के मध्य अन्तिम रूप से समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल (बन्दी संख्या-13385) पुत्र श्री अख्तर, निवासी जिला-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे रिहाई का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर रिहाई श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-103/2021/1264(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मेरठ ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-103/2021/1264/22-2-2020-17(469)/2020**

**दिनांक 23 जून, 2021 का संलग्नक**

**सरकार के आदेश**

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर, ग्राम-नगला साहू, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का निवासी है। बंदी ने दिनांक 19.04.2004 को वादी और उसका भाई शाहदत कामिल की बहन नन्ही व मतलूब तारीख पर कचेहरी मेरठ जाने के लिए बस के इंतजार में मदरसे के पास खड़े थे। बंदी ने अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से फायर कर दिया। शाहदत मदरसे के अंदर की ओर भागा तो अभियुक्तगण ने मदरसे के अंदर घुसकर शाहदत को गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-545/2004 भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-11, मेरठ के आदेश दिनांक 04.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 16 वर्ष 04 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 15.09.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा रंजीशन हत्या की गयी थी समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, समयपूर्व रिहाई की दशा में कोई भी अप्रिय घटना घटित करने से समाज में रोष व्याप्त होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 19.04.2004 को परिजनों के साथ तारीख पर कचहरी मेरठ जाने के लिए बस के इंतजार में मदरसे के पास खड़े शाहदत नामक व्यक्ति की 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मदरसे के अंदर घुसकर गोलियों से छलनी कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद दोनों पक्षों के मध्य अन्तिम रूप से समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in